

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प.18(1)साप्र/2/18

जयपुर, दिनांक : 11.07.2018

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'एच' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

| क्र.सं | वरियता संख्या | नाम एवं पदनाम आवंटी | सेवानिवृत्ति दिनांक | आवंटित राजकीय आवास संख्या |
|--------|---------------|---|---------------------|---------------------------|
| 1. | 59/2002 | श्री कालूराम मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पेंशन निदेशालय, राज. जयपुर | 31.12.2026 | एच-517 गांधीनगर |
| 2. | 63/2002 | श्री प्रहलाद दास बैरवा कम्पोजिटर कम प्रिन्टर कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर | 30.06.2024 | एच-532 गांधीनगर |
| 3. | 10/2003 | श्री पूरण धोबी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्याय विभाग (जिला न्यायालय जयपुर) राजस्थान जयपुर | 30.9.2039 | एच-534 गांधीनगर |
| 4. | 11/2003 | श्री पवन वर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान विधानसभा जयपुर | 31.7.2032 | एच-562 गांधीनगर |
| 5. | 12/2003 | श्री रामनाथ गुर्जर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजकीय उच्च मा.वि.माणक चोक जयपुर | 31.5.2029 | एच-565 गांधीनगर |
| 6. | 13/2003 | श्री सुदर्शन चुलैर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण जयपुर | 30.4.2030 | एच-579 गांधीनगर |
| 7. | 14/2003 | श्री विजय कुमार सैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निदेशक साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग जयपुर | 30.6.2020 | एच-586 गांधीनगर |
| 8. | 18/2003 | श्रीमती मीरा गुर्जर फरास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-तृतीय जयपुर | 31.12.2031 | एच-592 गांधीनगर |
| 9. | 20/2003 | श्री टीकम सिंह शेखावत परिचालक राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सालय धाभाईजीकी हवेली बडी चौपड जयपुर | 31.12.2039 | एच-595 गांधीनगर |
| 10. | 20(B)/2003 | श्री गोपाल लाल दरोगा वार्ड बॉय, राजकीय सेटेलार्ड बनीपार्क,जयपुर | 31.12.2022 | एच-656 गांधीनगर |
| 11. | 21/2003 | श्री दामोदर राव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग आयोजना भवन जयपुर | 31.12.2036 | एच-659 गांधीनगर |
| 12. | 21(A)/2003 | श्री सहदेव सोठारवाल (आरक्षी) नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान जयपुर | 30.6.2032 | एच-669 गांधीनगर |
| 13. | 21(B)/2003 | श्री दिलावर हुसैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर | 30.6.2031 | एच-855 गांधीनगर |
| 14. | 21(D)/2003 | श्री चन्द्र प्रकाश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय विधि मंत्री शासन सचिवालय, जयपुर | 31.7.2024 | एच-860 गांधीनगर |
| 15. | 21(E)/2003 | श्री गोविन्द राम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सर्किट हाउस, जयपुर | 31.5.2023 | एच-865 गांधीनगर |
| 16. | 22/2003 | श्री श्योजी राम माली, सहायक कर्मचारी निदेशालय, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर | 30.4.2028 | एच-872 गांधीनगर |

| | | | | |
|-----|------------|--|------------|--------------------|
| 17. | 23/2003 | श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राज आयोग उप संरक्षण विभाग, जयपुर | 31.5.2032 | एच-885 गांधीनगर |
| 18. | 23(A)/2003 | श्री बाबूलाल सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजकीय गुरुनानक भवन संस्थान, जयपुर | 28.2.2022 | एच-887 गांधीनगर |
| 19. | 23(B)/2003 | श्री ब्रजमोहन, फ़ैरोमैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुख्य नगर नियोजन विभाग, जयपुर | 31.7.2021 | एच-888 गांधीनगर |
| 20. | 23(C)/2003 | श्री कैलाश चन्द मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उप निदेशक कृषि (प्रशा.) जयपुर | 30.9.2026 | एच-890 गांधीनगर |
| 21. | 24/2003 | श्री आनन्दी लाल वर्मा फर्राश, सर्किट हाउस, जयपुर | 28.8.2023 | एच-891 गांधीनगर |
| 22. | 24(C)/2003 | श्री मदन लाल मीणा लश्कर (च.श्रे.क.) एन.सी.सी. जयपुर | 31.7.2033 | एच-894 गांधीनगर |
| 23. | 25/2003 | श्री सुरेन्द्र सिंह जोधा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर | 31.10.2025 | एच-899 गांधीनगर |
| 24. | 21/2011 | श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री देव सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (ख-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर | 31.8.2042 | एच-900 गांधीनगर |
| 25. | 22/2011 | श्री रमेश मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (ख-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर | 31.8.2045 | एच-903 गांधीनगर |
| 26. | 31/2011 | श्री प्रदीप कुमार सोलंकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जन अभियोग निराकरण विभाग शासन. सचिवालय, जयपुर | 31.5.2040 | एच-904 गांधीनगर |
| 27. | 37/2011 | श्री मुन्नालाल पुत्र श्री नारायण दाय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सा0नि0 विभाग जयपुर शास सचिवालय, जयपुर | 30.11.2025 | एच-906 गांधीनगर |
| 28. | 1/2012 | श्रीमती रेखा देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आयोजना 20 सूत्रीय कार्यक्रम विभाग शासन सचिवालय, जयपुर | 31.7.2031 | एच-911 गांधीनगर |
| 29. | 2/2012 | श्री निरंजन परिहार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आपदा प्रबन्ध एवं सहायता विभाग शासन सचिवालय, जयपुर | 31.12.2050 | एच-913 गांधीनगर |
| 30. | 7/2012 | श्री भंवर शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रमुख शासन सचिव सा.नि.वि. शासन सचिवालय, जयपुर | 31.3.2044 | एच-914 गांधीनगर |

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।

2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


हो

(डॉ. पी.डी. पारीक)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. प्राचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माणक चौक, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. पंजीयक, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-3, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सालय धामाई जी की हवेली, बड़ी चौपड़, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
13. चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल, बनीपार्क जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
14. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, आयोजना भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
15. महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
16. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
17. उप शासन सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
18. प्रबंधक, विश्राम भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
19. निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
20. प्रभारी अधिकारी, राजकीय गुरुनानक भवन संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
21. मुख्य नगर नियोजक, मुख्य नगर नियोजन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
22. उप निदेशक, कृषि (प्रशासन) विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
23. निदेशक, एन.सी.सी. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
24. उप निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, महिला और बाल विकास विभाग, गांधीनगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
25. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
26. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
27. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
28. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।

29. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
30. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
31. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
32. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
33. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
34. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
35. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
36. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव 11/7/18

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

| | | |
|----|--|--|
| 1. | नाम अधिकारी/कर्मचारी | |
| 2. | वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण | |
| 3. | जन्म दिनांक | |
| 4. | सेवानिवृत्ति दिनांक | |
| 5. | जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है। | |
| 6. | आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है। | |

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर